भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2939
मंगलवार, 10 मार्च, 2026/19 फाल्गुन, 1947 (शक) को उत्तरार्थ

सहकारी बैंक और सहकारी समितियां

2939. डॉ. मन्ना लाल रावतः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में वर्तमान में कार्य कर रहे सहकारी बैंकों और सहकारी समितियों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) सहकारी बैंकों और समितियों के संचालन के लिए केन्द्र और राज्यों में कौन-कौन से प्रमुख कानून लागू किए गए हैं और इसके अंतर्गत नियंत्रण और विनियमन के लिए क्या तंत्र उपलब्ध कराया गया है;

(ग) सहकारी संस्थाओं से संबद्ध पदाधिकारियों, कर्मचारियों और सदस्यों के प्रशिक्षण अथवा उनकी क्षमता विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार सहकारी क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय नवाचार और डिजिटलीकरण के लिए विशेष पहल कर रही है. और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) के अनुसार, राज्य-वार कुल कार्यशील शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी), राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी), प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (पीसीएआरडीबी), राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी) और बहु-राज्य सहकारी समितियों (एमएससीएस) बैंकों की कुल संख्या **संलग्रक-1** के रूप में संलग्न है। सहकारी समितियों की राज्य-वार कुल संख्या और कार्यशील सहकारी समितियों का विवरण **संलग्नक -2** के रूप में संलग्न है।

(ख) शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) सहित प्राथमिक सहकारी समितियां संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अधीन पंजीकृत हैं। जबकि भारत में बहु-राज्य सहकारी बैंक सहित बहु-राज्य सहकारी समितियाँ (एमएससीएस) ऐसी सहकारी समितियाँ हैं, जिनकी सदस्यता और संचालन एक से अधिक राज्यों में फैले हुए हैं, और जो बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (2023 में संशोधित) के अधीन पंजीकृत हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) के तहत यूसीबी, डीसीसीबी, एसटीसीबी और एमएससीएस बैंकों के केवल बैंकिंग कार्यों का विनियमन और

पर्यवेक्षण करता है, जिसमें लाइसेंसिंग, पूंजी पर्याप्तता और ऋण मानदंड जैसे क्षेत्र शामिल हैं । इनका सहकारी प्रशासन और प्रबंधन, जैसे कि सदस्यता, उप-विधियाँ, निर्वाचन और संपरीक्षा, संबंधित राज्य सहकारी पंजीयक या सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक (सीआरसीएस) जैसा भी लागू हो के अधीन रहते हैं ।

(ग) से (ङ)   सहकारिता मंत्रालय ने दिनांक 6 जुलाई, 2021 को अपनी स्थापना के बाद से, सहकारी क्षेत्र में क्षमता निर्माण, तकनीकी नवाचार और डिजिटलीकरण के लिए 'सहकार-से-समृद्धि' की परिकल्पना को साकार करने हेतु कई पहलें की हैं। इन प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

- 20 प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से देश भर के सदस्यों, निदेशक मंडल, सहकारी समितियों के कर्मचारियों, राज्य के अधिकारियों और महत्वाकांक्षी युवाओं के लिए राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) के माध्यम से क्षमता निर्माण और कौशल विकास कार्यक्रम।
- आज की तिथि तक, देश भर के इन प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा 10,11,359 प्रतिभागियों के लिए 16,404 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं।
- नाबार्ड के माध्यम से संचालित क्षमता निर्माण कार्यक्रम, जो ई-पैक्स सॉफ्टवेयर अर्थात् ईआरपी सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।
- त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी (टीएसयू) की स्थापना।
- पैक्स को सशक्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा 2925.39 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ कार्यशील पैक्स के कंप्यूटरीकरण की एक परियोजना को अनुमोदित किया गया है, जिसके अंतर्गत देश के सभी कार्यशील पैक्स को एक कॉमन ईआरपी आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाना शामिल है । परियोजना के अंतर्गत 31 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के संस्वीकृत कुल 79,630 पैक्स में से, 61,478 पैक्स को ईआरपी सॉफ्टवेयर पर ऑनबोर्ड कर लिया गया है।
- दीर्घकालिक सहकारी ऋण ढांचे को सशक्त करने के लिए सरकार द्वारा 13 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में फैले कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबी) की 1,867 इकाइयों के कंप्यूटरीकरण की परियोजना को अनुमोदित किया गया है । नाबार्ड इस परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। अब तक 10 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उन्हें संस्वीकृत कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, हार्डवेयर के प्रापण, डिजिटलीकरण और सपोर्ट सिस्टम स्थापित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में 10 राज्यों/ राज्यक्षेत्रों को 10.89 करोड़ रुपये की भारत सरकार की हिस्सेदारी जारी कर दी गई है।
- पैक्स की आदर्श उपविधियां, जो भंडारण, प्रसंस्करण, एलपीजी वितरण और कॉमन सेवा केंद्रों जैसी कार्यकलापों के विविधीकरण को सक्षम बनाते हैं, जिससे बेहतर शासन मानकों को सुनिश्चित किया जा सके और सदस्य-केंद्रित कार्यों को बढ़ावा दिया जा सके।
- सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण योजना।

******

संलग्नक-1

कार्यशील शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी), राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी), प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी), राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी) और बहु-राज्य सहकारी समितियों (एमएससीएस) बैंकों की राज्यवार संख्या

क्रम सं.	राज्य का नाम	यूसीबी	डीसीसीबी	एसटीसीबी	पीसीएआरडीबी	एससीएआरडीबी	एमएससीएस बैंक
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	1	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	35	13	1	0	0	1
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	1	0	0	0
4	असम	8	0	1	0	0	0
5	बिहार	1	23	1	0	1	1
6	चंडीगढ़	0	0	1	0	0	0
7	छत्तीसगढ़	12	6	1	0	0	0
8	दिल्ली	15	0	1	0	0	0
9	गोवा	3	0	1	0	0	0
10	गुजरात	203	18	1	0	1	12
11	हरियाणा	5	19	1	19	1	2
12	हिमाचल प्रदेश	5	2	1	1	1	0
13	जम्मू और कश्मीर	4	3	1	0	1	0
14	झारखंड	2	1	1	0	0	0
15	कर्नाटक	237	21	1	181	1	0
16	केरल	45	0	1	0	0	0
17	लद्दाख	1	0	0	0	0	0
18	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
19	मध्य प्रदेश	24	38	1	0	0	0
20	महाराष्ट्र	434	31	1	0	0	38
21	मणिपुर	0	0	1	0	0	0
22	मेघालय	3	0	1	0	0	0
23	मिजोरम	0	0	1	0	0	0
24	नागालैंड	0	0	1	0	0	0
25	ओडिशा	8	17	1	0	0	0
26	पुडुचेरी	1	0	1	0	1	0
27	पंजाब	7	20	1	89	1	0
28	राजस्थान	29	29	1	36	1	4
29	सिक्किम	1	0	1	0	0	0
30	तमिलनाडु	102	24	1	176	1	1
31	तेलंगाना	48	9	1	0	1	3
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0	1	0	0	0
33	त्रिपुरा	0	0	1	0	1	0
34	उत्तर प्रदेश	51	51	1	0	1	5
35	उत्तराखंड	5	10	1	0	0	0
36	पश्चिम बंगाल	41	5	1	24	1	2
	कुल	**1330**	**340**	**34**	**526**	**14**	**69**

स्रोत: दिनांक 01.03.2026 की स्थिति के अनुसार एनसीडी (NCD) पोर्टल

संलग्नक-2

राज्य-वार सहकारी समितियों की कुल संख्या

क्रम सं.	राज्य का नाम	सहकारी समितियों की कुल सं.	कार्यशील समितियों की कुल सं.
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2,239	1,207
2	आंध्र प्रदेश	18,183	12,439
3	अरुणाचल प्रदेश	1,461	1,014
4	असम	12,427	7,772
5	बिहार	27,387	22,344
6	चंडीगढ़	476	196
7	छत्तीसगढ़	11,845	10,245
8	दिल्ली	5,944	1,939
9	गोवा	5,593	3,153
10	गुजरात	86,519	79,386
11	हरियाणा	34,673	15,604
12	हिमाचल प्रदेश	5,791	4,985
13	जम्मू और कश्मीर	10,620	9,003
14	झारखंड	12,091	8,016
15	कर्नाटक	46,969	40,368
16	केरल	19,652	15,130
17	लद्दाख	275	168
18	लक्षद्वीप	43	31
19	मध्य प्रदेश	53,965	26,623
20	महाराष्ट्र	2,25,986	2,19,941
21	मणिपुर	11,627	5,300
22	मेघालय	3,452	2,975
23	मिजोरम	1,560	1,270
24	नागालैंड	7,955	1,830
25	ओडिशा	8,362	7,757
26	पुडुचेरी	464	401
27	पंजाब	19,662	11,906
28	राजस्थान	41,969	25,704
29	सिक्किम	3,768	1,416
30	तमिलनाडु	23,210	21,240
31	तेलंगाना	60,858	47,504
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	597	379
33	त्रिपुरा	3,270	2,223
34	उत्तर प्रदेश	40,709	22,681
35	उत्तराखंड	6,393	4,409
36	पश्चिम बंगाल	32,142	22,985
	कुल	**8,48,137**	**6,59,544**

स्रोत: दिनांक 01.03.2026 की स्थिति के अनुसार एनसीडी (NCD) पोर्टल